

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2015/वैशाख 7, 1937

No. 262]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2015/VAISAKHA 7, 1937

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 323(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में मद सं. (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

(2) श्री नवनीत चौहान

-सदस्य

निदेशक

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

[फा.सं.3(4)मिस./2015-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.िन. 68(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2015

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 A of Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby nominate the following as member of the Quality Review Board, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following for the amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 490 (E), dated the 13th July, 2007, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for item number (2) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:—

(2) Shri Navneet Chouhan
Director
Ministry of Corporate Affairs
New Delhi – 110001

- Member

[F. No. 3(4)Misc/2015-PI]

MANOJ KUMAR Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended *vide* G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012.